(ग) क्या सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में उत्पादकों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ बीज, खाद, जल, विनाशक जीवनाशी उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्षों की तुलना में कोई नई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए पिछली व्यवस्था में क्या सुधार किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1992–93 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

चावल

खरीफ	68.75 मिलियन मीटरी टन
रबी	8.50 मिलियन मीटरी टन
कुल	77.25 मिलियन मीटरी टन
गेहूं	57.00 मिलियन मीटरी टन

ज्वार

खरीफ	9.00 मिलियन मीटरी टन
रबी	4.00 मिलियन मीटरी टन
कुल	13.00 मिलियन मीटरी टन
बाजरा	6.50 मिलियन मीटरी टन
मक्का	9.50 मिलियन मीटरी टन
रागी	2.50 मिलियन मीटरी टन

अन्य मोटे अनाज

खरीफ	1.00 मिलियन मीटरी टन
रबी (जौ)	1.75 मिलियन मीटरी टन
कुल मोटे अनाज	34.25 मिलियन मीटरी टन
कुल दलहन	14.50 मिलियन मीटरी टन
कुल खाद्यान्न	183.00 मिलियन मीटरी टन

(ग) और (घ) समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का तथा कदन्न), गहन कपास विकास कार्यक्रम आदि जैसी कुछ फसल उत्पादन-उन्मुख स्कीमों को संशोधित किया गया है–जैसे बीजों, माइक्रो पोषकों, पौध रक्षण उपकरणों, पौध रक्षण रसायनों के वितरण आदि जैसे संघटकों के निर्बाध प्रवाह के संबंध में शिनाख्त–शुदा सम्पूर्ण राज्यों को कवर किया गया है। प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए शिनाख्तशुदा जिलों तक ही सीमित किया गया है। इजाद की गई नई किस्मों के तेजी से प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त स्कीमों में प्रमाणित बीजों के वितरण में सब्सिडी की विभेदी दरों का प्रस्ताव किया गया है। इजाद की गई नई किस्मों के उत्पादन के लिये, खासकर समस्याग्रस्त इलाकों के लिए, प्रोत्साहन भी दिये गय हैं ।

विदेशों द्वारा भारत से बीजों और पौध का आयात

275. **चौधरी हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अनेक देशों ने सब्जियों के बीज और पौध का भारत से आयात करने के समझौते किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) उन देशों ने किन-किन सब्जियों के बीज और पौध की मांग की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991–92 और 1992–93 (जून 1992 तक) के दौरान सब्जियों के बीजों/पौधों के आयात के लिये बाहरी देशों द्वारा किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता